

By Speed Post / By Hand / E-mail

Ref. No.: PGCIL/R/E/23/00307/ **1631**

Date: 23/09/2023

सेवा में,  
श्री अशोक कुमार  
220/132 के०वी० सब-स्टेशन  
चन्दक पिथौरागढ़  
पिन -262501  
मो० 8299 500 936

**विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम – 2005 के अंतर्गत, आपके ऑनलाइन पत्र दिनांक 25.08.2023 के संबंध में**

महोदय,

जन सूचना अधिकार अधिनियम – 2005 के अंतर्गत, भेजा गया ऑनलाइन पत्र दिनांक 25.08.2023 में आपके द्वारा मांगी गयी बिन्दुवार जानकारी निम्नवत है-

क्रमांक	मांगी गई जानकारी	दी गयी जानकारी
1.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की मेरी शिकायत के संबंध में पावरग्रिड द्वारा दिये जवाब में संदर्भ संख्या:- CC/HR/Res-cell/2023/309A दिनांक 22.08.2023 के आधार पर पारेषण लाइन 400kV D/C Kanpur-Ballabgarh Transmission Line in the year 2009 निर्माण में मेरे द्वारा किस प्रकार की irregularities पाई गयी ?	The Vigilance Department has not investigated any matter of irregularity against Shri Ashok Kumar in 400kV D/C Kanpur-Ballabgarh Transmission Line. Hence, no such record is available. सतर्कता विभाग द्वारा श्री अशोक कुमार के संबंध में 400kV D/C Kanpur-Ballabgarh Transmission Line के कार्य में irregularity संबंधी कोई जांच नहीं की है। अतः, ऐसा कोई रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, प्रार्थी के द्वारा मांगी गई जानकारी ( क्रम संख्या 1 -5) उत्तरी क्षेत्र -III के गठन से पूर्व की है जिससे संबंधित दस्तावेज़ इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
2.	पारेषण लाइन 400kV D/C Kanpur-Ballabgarh Transmission Line in the year 2009 निर्माण में मेरे वर्क ऑफ स्कोप का सत्यापित विवरण दिया जाए ?	प्रार्थी के द्वारा मांगी गई जानकारी ( क्रम संख्या 1 -5) उत्तरी क्षेत्र - III के गठन से पूर्व की है जिससे संबंधित दस्तावेज़ इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
3.	पारेषण लाइन 400kV D/C Kanpur-Ballabgarh Transmission Line in the year 2009 निर्माण में irregularities की जांच में Internal Vigilance Department ने मुझ पर क्या चार्ज लगाए थे ? मुझे इसकी सूचना किरा माध्यम से कब दी थी ?	The Vigilance Department has not investigated any matter of irregularity against Shri Ashok Kumar in 400kV D/C Kanpur-Ballabgarh Transmission Line. Hence, no such record is available. सतर्कता विभाग द्वारा श्री अशोक कुमार के संबंध में 400kV D/C Kanpur-Ballabgarh Transmission Line के कार्य में irregularity संबंधी कोई जांच नहीं की है। अतः, ऐसा कोई रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, प्रार्थी के द्वारा मांगी गई जानकारी ( क्रम संख्या 1 -5) उत्तरी क्षेत्र -III के गठन से पूर्व की है जिससे संबंधित दस्तावेज़ इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

 - Contd. pg-2


क्रमांक	मांगी गई जानकारी	दी गयी जानकारी
4.	उक्त संबंध में Internal Vigilance Department द्वारा मुझे अपना पक्ष रखने के लिए कब और किस माध्यम से सूचित किया गया ?	The Vigilance Department has not investigated any matter of irregularity against Shri Ashok Kumar in 400kV D/C Kanpur-Ballabgarh Transmission Line. Hence, no such record is available. सतर्कता विभाग द्वारा श्री अशोक कुमार के संबंध में 400kV D/C Kanpur-Ballabgarh Transmission Line के कार्य में irregularity संबंधी कोई जांच नहीं की है। अतः, ऐसा कोई रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, प्रार्थी के द्वारा मांगी गई जानकारी ( क्रम संख्या 1 -5) उत्तरी क्षेत्र -III के गठन से पूर्व की है जिससे संबंधित दस्तावेज़ इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
5.	उक्त संबंध में Internal Vigilance Department द्वारा जांच कब खत्म हुई ? और मुझ पर क्या दंड निर्धारित किए गए ? ऑर्डर की छायाप्रति प्रदान करें ?	The Vigilance Department has not investigated any matter of irregularity against Shri Ashok Kumar in 400kV D/C Kanpur-Ballabgarh Transmission Line. Hence, no such record is available. सतर्कता विभाग द्वारा श्री अशोक कुमार के संबंध में 400kV D/C Kanpur-Ballabgarh Transmission Line के कार्य में irregularity संबंधी कोई जांच नहीं की है। अतः, ऐसा कोई रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, प्रार्थी के द्वारा मांगी गई जानकारी ( क्रम संख्या 1 -5) उत्तरी क्षेत्र -III के गठन से पूर्व की है जिससे संबंधित दस्तावेज़ इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
6.	उक्त के संबंध में Internal Vigilance Department द्वारा जारी उस ऑर्डर की प्रतिलिपि संलग्न करें जिसमें मुझे DPC में प्रमोट न करने के आदेश किए गए हों ? और S-1 से SG ग्रेड में प्रमोट करने पर कोई एतराज ना जताया गया हो ?	इस का उत्तर पावरग्रिड केन्द्रीय कार्यालय गुड़गाँव स्थित जनसूचना अधिकारी कार्यालय CPIO द्वारा पत्र सं.: PGCIL/R/E/23/00307 दिनांक 19.09.2023 के माध्यम से दिया जा चुका है।

**प्रथम अपीलीय प्राधिकारी:**

श्री नवीन श्रीवास्तव  
कार्यपालक निदेशक  
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड  
प्लॉट नं० 2ए/आई एन एस-2,  
अवध विहार योजना, अमर शहीद पथ  
लखनऊ (उ०प्र०)-226002  
सम्पर्क सं० -0522-2205100

धन्यवाद।

भवदीय

  
23/09/23

[एस० के० गुप्ता]

वरि०महाप्रबंधक (पी. ई. एस. एम. एवं अभियांत्रिकी)

पदांकित सी.पी.आई.ओ. - उ. के.-III,

पावरग्रिड, लखनऊ